क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	06/06/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं तहसीलदार तुंगा द्वारा पेश रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात् हम पाते है कि मौखिक बहस एवं प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है। वादीगण द्वारा अपनी भूमि ख. नं. 585 का नक्शा हाल खसरा नं. 1069 में जोड़ दिये जाने का दावा किया है, जबकि तहसीलदार तुंगा कि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नं. 585 से लगते हुए किसी भी खसरा नं. का रकबा जमाबंदी के मुकाबले अधिक नहीं है। वादी ने जिस खसरा नं. 1069 रकबा 10.42 है. गैर मुमकिन आबादी में अपनी भूमि जाने का दावा

फर्द अहकाम

__________ बनाम __________

__________ / 20____

संख्या / वर्ष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	किया है, उस खसरा नं. का रकबा मुताबिक जमाबंदी कम के कम पाया गया है एवं खसरा नं. 1067 गैर मुमकिन आबादी का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है जो एक ओटो नामस बाडी है जिसे वादीगण ने पक्षकार नहीं बनाया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से अंकित है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारीः– कनक जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या– 81 / 2022

1. शंकर लाल पुत्र श्री परताब
2. सूरज पुत्र श्री रामसहाय
3. नन्दा पुत्र श्री रामसहाय (दौराने दावा फोत)
   3/1 दिनेश पुत्र स्व. नन्दा
   3/2 राकेश पुत्र स्व. नन्दा
   3/3 अजीत पुत्र स्व. नन्दा
4. बद्री पुत्र श्री रामसहाय
5. रामचन्द्र पुत्र श्री रामसहाय
6. कैलाश पुत्र श्री रामसहाय
7. मोहन पुत्र श्री कन्हैयालाल
8. राधामोहन पुत्र श्री महादेव
9. श्री महादेव के पुत्र रामकिशोर
10. रोशन पुत्र बृजमोहन
11. अशोक पुत्र बृजमोहन
12. सुनील पुत्र बृजमोहन
13. कमलेश पुत्र बृजमोहन

समस्त जाति– धानका, निवासीगण ग्राम तूंगा, तहसील तूंगा, जिला जयपुर (राज.)

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बस्सी, जिला जयपुर।

– प्रतिवादी

दिनांक– 06 / 06 / 2024

दावा दुरूस्ती ,घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 89, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। ....निजी...मुबलिक........................ ......बाबत...खर्चा ....इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..............फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 06.06.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त.....................................

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर
अदालत.................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण